दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :47 अंक 259 मंगलवार 14 अप्रैल 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

निपुण विद्यालय बनाने में एआरपी की भूमिका महत्वपूर्ण – सीडीओ

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सभागार में सोमवार को बेसिक शिक्षा की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन डायट प्राचार्य संजय कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में किया गया। समीक्षा बैठक में पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी सार्थक अग्रवाल ने बैठक को संबोधित किया। सीडीओ ने कहा कि शिक्षकों की मेहनत से परिषदीय विद्यालयों में व्यापक सुधार हुआ है। गत दिनों निपुण असेसमेंट के घोषित परिणाम में बड़ी संख्या में विद्यालय निपुण घोषित हुए हैं, जिसमें जनपद के सभी एआरपी का महत्वपूर्ण योगदान है। परिषदीय विद्यालयों को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी एआरपी पर है। सभी एआरपी पूरे मनोयोग से कार्य करें ताकि जो विद्यालय इस सत्र में निपुण होने से रह गए हैं वह विद्यालय आगामी सत्र में अनिवार्य रूप से निपुण हो जाएं। डायट प्राचार्य ने कहा कि मुख्य विकास अधिकारी द्वारा लगातार मिल रहे सहयोग से बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है और विभिन्न शैक्षिक योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है। कहा कि इनका निरन्तर सहयोग बेसिक शिक्षा को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।इस दौरान रूम टू रीड कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। इस संस्था की सदस्य नेहा और धीरेंद्र द्वारा बच्चों की पुस्तकों तक पहुंच, गुणवत्तापूर्ण बाल साहित्य, भाषा समृद्ध वातावरण, निर्धारित पठन गतिविधियां, परिवार एवं सामुदायिक सहभागिता तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण पर प्रकाश डाला गया। एसआरजी आशीष श्रीवास्तव और अंगद पाण्डेय ने स्पीक अलाउड गतिविधि के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इससे बच्चों के भाषा कौशल, उच्चारण, आत्मविश्वास तथा सुनने–समझने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। बैठक में डायट प्रवक्ता इमरान खान और दिव्यांश त्रिपाठी ने सहयोग प्रदान किया।

प्रसव के दौरान नवजात का सिर धड़ से अलग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनहरा कुदरहा में सोमवार को प्रसव के दौरान एक नवजात शिशु का सिर धड़ से अलग होने का गंभीर मामला सामने आया है। इस घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

कलवारी थाना क्षेत्र के मुरादपुर निवासी सात माह की गर्भवती प्रेमा देवी को प्रसव पीड़ा होने पर उनके पति नीरज कुमार उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनहरा लेकर गए थे। परिजनों का आरोप है कि महिला स्टाफ ने गर्भवती महिला को तुरंत दर्द का इंजेक्शन दिया और जबरन डिलीवरी कराने का प्रयास किया।

डिलीवरी के दौरान महिला स्टाफ ने नवजात शिशु का धड़ सिर से अलग कर दिया। इस स्थिति को देखकर महिला स्टाफ के होश उड़ गए और उन्होंने महिला की हालत गंभीर बताते हुए उसे पास के एक निजी अस्पताल में भेज दिया। निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने भी महिला की स्थिति को अति गंभीर बताते हुए उसे महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज के कैली अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज की चिकित्सा इकाई ओपेक हॉस्पिटल कैली की ओपीडी में पहुंची महिला की गंभीर स्थिति देखकर डॉक्टर हैरान रह गए। मेडिकल कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. कल्पना मिश्रा ने बताया कि जब मरीज उनके पास आई, तो वह गंभीर हालत में थी। जांच करने पर पता चला कि बच्चे का धड़ बाहर आ चुका था, लेकिन सिर अंदर ही रह गया था।ऑपरेशन करके बच्चे का सिर निकाला गया। मरीज अब पूरी तरह सुरक्षित है।

अमेरिका की नाकेबंदी: ईरान पलटवार को तैयार

तेहरान (आभा)। अमेरिकी सैन्य बलों ने सोमवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 10 बजे (भारतीय समयानुसार शाम 7रू30 बजे) ईरान के सभी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों पर नाकाबंदी लागू कर दी है। यह

कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर उठाया गया है, जिसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर सख्त निगरानी बढ़ा दी गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने स्पष्ट किया कि नाकाबंदी ईरानी बंदरगाहों में आने–जाने वाले सभी देशों के जहाजों पर समान रूप से लागू होगी, हालांकि गैर–ईरानी बंदरगाहों के बीच आवागमन वाले जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दी जाएगी।

बता दें कि यह नाकाबंदी अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता विफल होने के बाद शुरू हुई है। शनिवार–रविवार को पाकिस्तान में हुई लंबी बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए यह सख्त कदम उठाया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि अमेरिकी नौसेना ईरानी बंदरगाहों में प्रवेश या निकास करने वाले सभी जहाजों को रोकेगी।

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरानी श्फास्ट अटैकश जहाज अमेरिकी नाकाबंदी के करीब आए तो उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा।

नगर पालिका करायेगी भीमराव अंबेडकर स्मारक स्थलों का निर्माण

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयन्ती अवसर पर अवस्थापना निधि से दो स्थलों पर नगर पालिका द्वारा भव्य भीमराव अंबेडकर स्मारक स्थल का निर्माण शुरू किये जाने की घोषणा नगर पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा ने किया।

यह जानकारी देते हुये नगरपालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा ने बताया कि नगरपालिका परिषद बस्ती कार्यालय अंतर्गत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्थल एवं निर्मलीकुंड निकट बाबा साहब स्थल पर नई मूर्ति के साथ भव्य स्मारक के पुनर्निर्माण का कार्य प्रस्तावित है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अंकुर वर्मा ने बताया कि इन दोनों स्थलों पर नए तरह से निर्माण होगा जिसमें पुष्प पौधों के साथ साथ डिजाइनर लाइट की व्यवस्था रहेगी।

अधिशाषी अधिकारी अंगद गुप्ता ने बताया कि स्थल निर्माण का कार्य अवस्थापना निधि से होगा । इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, प्रस्ताव पास करा कर जल्द ही निर्माण कराया जाएगा ।

एकजुटता से पूरे होंगे बाबा साहब के संकल्प–लवकुश पटेल

–भारतीय बस्ती संवाददाता

बस्ती। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी लवकुश पटेल उर्फ रिंकू चौधरी ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कहा कि बाबा साहब के विचार आज भी समाज को सही दिशा देने का काम कर रहे हैं और उनके बताए मार्ग पर चलकर ही एक समतामूलक समाज की स्थापना संभव है। कहा कि एकजुटता से बाबा साहब के संकल्पों को पूरा करना होगा।

बसपा नेता लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी लवकुश पटेल ने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को नशे जैसी बुराइयों से दूर रहना चाहिए और अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह मजबूत आधार है, जिससे व्यक्ति अपने अधिकारों को समझ सकता है और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी सकता है।उन्होंने आगे कहा कि बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन समाज के कमजोर, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी है कि उनके विचारों को जन–जन तक पहुंचाएं और सामाजिक समानता, भाईचारे और न्याय की भावना को मजबूत करें।

लवकुश पटेल उर्फ रिंकू चौधरी ने कहा कि बस्ती सदर विधानसभा क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान को तेज करते हुए लोगों के सुख–दुख में शामिल होते हैं।

पीडिता ने लगाया न्याय की गुहार: आरोपियों के विरूद्ध कार्रवाई की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। गौर थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म, गर्भपात कराने और मंदिर में विवाह के बाद घर से निकाल दिये जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई और अपने बेटी के जान माल के रक्षा की गुहार लगाया है।

पत्र में पीडिता ने कहा है कि गौर थाना क्षेत्र अइलाकला गांव के ही किशन पुत्र केशवराम ने उससे जबरिया दुष्कर्म कर सम्बन्ध बनाया। पुलिस के दबाव में बैडवा समय माता मंदिर पर विवाह हुआ किन्तु अब किसन और उसके पिता केशवराम, भाई जनकराम व भाभियां उर्मिला व गुडिया आदि ने उसे बुरी तरह से मारा पीटा और जान से मारने की धमकी देते हुये घर से भगा दिया। पीडिता ने दोषियों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर कार्रवाई और अपने जान माल के रक्षा की गुहार लगाया है।

बाबा साहब की जयन्ती पर सचिन कुमार ने किया पौधरोपण का आवाहन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बहुजन समाज पार्टी नेता और बस्ती सदर विधानसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदार सचिन कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर की 135 जयंती पर यही संकल्प लेना है कि समाज के सभी वर्गो को शिक्षा का समान अवसर मिले। कहा कि बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संघर्ष करो का जो नारा दिया था वह आज भी प्रासंगिक है। आज भी शिक्षा एक बड़ी चुनौती है। विधानसभा क्षेत्र में सम्पर्क के दौरान उन्होने देखा है कि अशिक्षा आज भी कायम है। गरीबी भी बड़ी चुनौती है। उन्होने बाबा साहब की जयंती पर पौधरोपण का आवाहन किया जिससे प्रकृति सुरक्षित रहे और पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति मिले।

बसपा नेता सचिन कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 14 अप्रैल को बहन सुश्री मायावती के आवाहन पर बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक लखनऊ पहुंचेंगे। यहां भव्यता के साथ मनायी जाने वाली जयन्ती में शामिल होंगे।

जलियावाला बाग के अमर शहीदों को किया नमन्

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। सोमवार को वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के महामंत्री एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बंशज वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम प्रकाश शर्मा के संयोजन में कलेक्ट्रेट परिसर में 107 वर्ष पूर्व हुये जलियावाला बाग के अमर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किया गया।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बंशज श्याम प्रकाश शर्मा ने कहा कि 13 अप्रैल 1919 को बर्बरता की ऐसी पराकाष्ठा पार की गई कि आज भी दीवारों पर उसके निशान नजर आते हैं। आज भी वो निशान देखकर हर कोई सहम जाता है। यह कहानी है जलियांवाला बाग नरसंहार की, जब अंग्रेजों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थीं। ये बात और है कि ब्रिटेन ने आज तक भारत में किए अपने इस घृणास्पद कृत्य के लिए माफी नहीं मांगी है। अंग्रेज आजादी के आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के नाम पर भारतीयों के मौलिक अधिकारों को खत्म करना चाहते थे। ऐसे अमर बलिदानियों को सदैव याद किया जायेगा।

बीएन शुक्ल की अध्यक्षता में हुये कार्यक्रम में बी.के. मिश्र, आचार्य छोटेलाल वर्मा, मयंक श्रीवास्तव, अजमत अली सिद्दीकी ने कहा कि

इस घटना को लगभग 107 साल हो गए हैं। लंबे वक्त से अलग–अलग मंचों से मांग उठती रही है कि ब्रिटिश सरकार जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए लिखित में माफी मांगे, हालांकि ये अब तक नहीं हो पाया है। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में बैसाखी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। पूरा पंजाब झूम रहा था। इस दिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास स्थित जलियांवाला बाग में सभा चल रही थी। करीब 15 से 20 हजार लोग उस बाग में जमा हो गए। जनरल डायर के आदेश पर निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवा दी गई। इसे याद करके मन सिहर जाता है। ऐसे बलिदानियों को नमन करने वालों में मुख्य रूप से अमरपाल एडवोकेट, मेहीलाल, पेशकार मिश्र, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, दीनानाथ यादव, ओम प्रकाश धर द्विवेदी, कृष्णचन्द्र पाण्डेय, नेबूलाल आदि शामिल रहे।

बंगाल में हटाए गए मतदाताओं को अभी वोट का अधिकार नहीं

नई दिल्ली (आभा)। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए लोगों को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि लंबित अपीलों वाले मतदाताओं को फिलहाल मतदान का अधिकार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उन याचिकाकर्ताओं की मांग खारिज कर दी, जिनके नाम एसआईआर अभियान में हटाए गए थे और जिनकी अपीलें अभी अपीलीय न्यायाधिकरणों में लंबित हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि अंतरिम राहत देना असंभव है, क्योंकि इससे चुनावी प्रक्रिया प्रभावित होगी।मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि यह बिल्कुल असंभव है। अगर हम ऐसा करते हैं, तो संबंधित व्यक्तियों के मतदान अधिकार निलंबित करने पड़ेंगे।

भूख–हड़ताल पर डटे भाजपा नेता चन्द्रमणि पाण्डेय 'सुदामा' के आगे झुका प्रशासन: भूख हड़ताल खत्म

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

–जनपद के नदियों, घाटों की स्वच्छता के लिये बनेगा खाका

बस्ती। जनपद में विषाक्त हो चुकी नदियों की सफाई एवं पुनर्जीवन की मांग को लेकर जारी भूख–हड़ताल ने सातवें दिन निर्णायक मोड़ ले लिया, जब भाजपा नेता चन्द्रमणि पाण्डेय 'सुदामा' के दृढ़ संकल्प के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा। सातवें दिन सुबह जैसे ही श्री पाण्डेय दर्जनों समर्थकों के साथ ज्ञापन देकर धरने पर बैठे, प्रशासनिक अधिकारियों का उन्हें मनाने का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान सिंचाई एवं बाढ़ खंड के अधिकारियों, सीओ सिटी एवं एसडीएम बस्ती सदर के साथ कई दौर की वार्ता हुई। अधिकारियों द्वारा यह बताया गया कि उनका मांग पत्र शासन व संबंधित विभागों को प्रेषित कर दिया गया है।

श्री पाण्डेय ने स्पष्ट कहा कि 5 फरवरी को दिए गए मांग पत्र पर अब तक हुई ठोस कार्यवाही की जानकारी दी जाए। वार्ता के दौरान प्रशासन द्वारा केंद्रीय जल बोर्ड के सर्वे का उल्लेख किया गया, जिस पर श्री पाण्डेय ने बताया कि यह पूर्व में उनके प्रयासों के क्रम में पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी के सहयोग से कराया गया सर्वे है, जिसकी अंतिम रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पूर्व में उनके मांग के क्रम में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नदी जल को अत्यंत दूषित बताया जा चुका है, बावजूद इसके अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई।

श्री पाण्डेय के तर्कपूर्ण और दृढ़ रुख के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा। जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी से वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया कि मुख्य विकास अधिकारी सभागार में एक व्यापक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें जनपद के सभी विभागों एवं सिंचाई विभाग के मण्डलीय अधिकारियों की उपस्थिति में नदी सफाई एवं पुनर्जीवन का विस्तृत खाका तैयार किया जाएगा।

प्रशासन ने आश्वस्त किया कि शीघ्र ही अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया जाएगा नदियों में गिर रहे नालों पर प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।

प्रशासन पर भारी पड़ रहे हैं खनन माफिया कार्रवाई न हुई तो आन्दोलन की चेतावनी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

–छवि धूमिल करने वालों के विरूद्ध हो कड़ी कार्रवाई– पंकज सिंह

बस्ती। सोमवार को विश्व हिन्दू महासंघ जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह और सामाजिक कार्यकर्ता पंकज सिंह ने बड़े बन के निकट एक निजी होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुये कहा कि जनपद में खनन नियमों की खुले आम धज्जियां उडायी जा रही है। जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के बावजूद अभी तक खनन अधिकारी द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। कुछ ठेकेदार दबंगई और रिश्वत के बल पर नियम कानून तोड़ रहे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है।

विश्व हिन्दू महासंघ जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह और सामाजिक कार्यकर्ता पंकज सिंह ने पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुये बताया कि सल्टौआ गोपालपुर विकास खण्ड क्षेत्र के दसिया में एक शराब फैक्ट्री का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें लगभग तीन सौ बीघे में अवैध ढंग से मिट्टी खनन कराकर पटाई खनन माफियाओं द्वारा कराया जा रहा है। मिलीभगत से सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचायी जा रही है। एक दबंग ठेकेदार पूरी व्यवस्था पर भारी पड़ रहा है और खनन अधिकारी न जाने किस प्रभाव में चुप्पी साधे हुये है। कहा कि यदि अवैध खनन पर प्रशासन ने प्रभावी रोक न लगाया तो वे आन्दोलन को बाध्य होंगे। सामाजिक कार्यकर्ता नगर थाना क्षेत्र के महरीपुर निवासी पंकज सिंह ने बताया कि उनके विरूद्ध राजेश शुक्ला उर्फ बबलू पुत्र राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला निवासी गोबरहिया थाना पुरानी बस्ती द्वारा जो आरोप लगाये गये थे वे जांच में निराधार पाये गये। कहा कि झूठा आरोप लगाकर उनकी छवि धूमिल करने वालों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराया जाय।

टेट के सवाल को लेकर शिक्षकों ने निकाला मशाल जुलूस: सौंपा ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

–3 मई को लखनऊ में होगी शिक्षकों की जुटान– उदयशंकर शुक्ल

बस्ती। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के आवाहन पर सोमवार को टेट के सवाल को लेकर मशाल जुलूस निकाला गया। इसके पूर्व प्रेस क्लब सभागार में शिक्षकों की बैठक हुई जिसमें परसुरामपुर ब्लाक अध्यक्ष नरेन्द्र दूबे के स्वागत के साथ ही संघर्ष की रणनीति पर विचार किया गया। टेट के सवाल पर शिक्षक प्रेस क्लब से हाथों में मशाल, मोमबत्ती और तख्तिया लिये शास्त्री चौक होते हुये जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे जहां उप जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा गया।

प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष एवं अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक संघ के संयोजक उदय शंकर शुक्ल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शिक्षक मशाल जुलूस में शामिल हुये । श्री शुक्ल ने कहा कि टेट की अनिवार्यता समाप्त किये जाने की मांग को लेकर शिक्षकों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, नेता प्रतिपक्ष और यूपी के मुख्यमंत्री आदि को पाती भेजी गई। इसके बावजूद अभी तक कोई रचनात्मक पहल नहीं हुआ। मशाल जुलूस के बाद 3 मई को लखनऊ में आयोजित महारैली आयोजित किया गया है। उन्होने शिक्षकों का आवाहन किया कि अनिवार्य रूप से अपनी एकजुटता बनाये रखें जिससे टेट की समस्या का हल निकले।

अटेवा के अध्यक्ष का तौआब अली, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष अम्बिका पाण्डेय, माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के अध्यक्ष अजय वर्मा ,टीएससीटी के अध्यक्ष प्रमोद ओझा, जर्नादन शुल, इजहारूल हक, आनन्द दूबे, दीपक सिंह प्रेमी, अभय सिंह यादव, राजकुमार सिंह, राजीव पाण्डेय, अभिषेक उपाध्याय, दिवाकर सिंह, इन्द्रसेन मिश्र, स्कन्द मिश्र, चन्द्रभान चौरसिया, राजेश चौधरी, शैल शुक्ल, रीता शुक्ला आदि ने अपने सम्बोधन में कहा कि संघर्ष से ही सफलता मिलेगी।

यह जानकारी देते हुये प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला प्रवक्ता सूर्य प्रकाश शुक्ल ने बताया कि मशाल जुलूस में अनीता चन्द्रा, सुनीता चौधरी, शालिनी उपाध्याय, ओम प्रकाश पाण्डेय, भीमशंकर मिश्र, रविशंकर मिश्र, विनोद यादव, रजनीश मिश्र, रामपाल चौधरी, मारूफ अहमद, सतीश शंकर शुक्ल, रविन्द्रनाथ, सुनील पाण्डेय, सन्तोष शुक्ल, मो. सलाम, विकास पाण्डेय, लालेन्द्र कुमार, सुखराज गुप्ता, वैभव कन्नौजिया, चन्द्रिका सिंह के साथ ही बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल रहे।

घरेलू गैस संकट, कालाबाजारी के विरोध में महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। सोमवार को महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष लक्ष्मी यादव के नेतृत्व में महिला कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेताओं के साथ घरेलू गैस संकट को लेकर पद यात्रा करते हुये प्रदर्शन किया। इसके बाद जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को 5 सूत्रीय ज्ञापन भेजा गया।

मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में गैस की कालाबाजारी पर रोक लगाकार पूर्व की भांति गैस सिलेन्डर उपलब्ध कराये जाने, महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगाने, ग्रामीण इलाकों के पेट्रोल पम्पों पर पेट्रोल, डीजल उपलब्ध कराने, सरकारी क्रय केन्द्रों पर गेहूं खरीद सुनिश्चित किये जाने, छुट्टा जानवरों से किसानों की फसल बरबाद होने से रोकने की व्यवस्था किये जाने आदि की मांग शामिल है।

ज्ञापन देने के बाद महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष लक्ष्मी यादव ने कहा कि जनपद में सरकार के दावों के बावजूद घरेलू गैस उपभोक्ताओं को नहीं मिल पा रहा है। कालाबाजारी जोरों पर है। इस पर अंकुश लगाया जाय।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ चौधरी, पूर्व जिलाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पाण्डेय ज्ञानू, कांग्रेस आर.टी.आई. विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष महेन्द्र श्रीवास्तव, शास्त्री डी.एन. त्रिपाठी ने कहा कि मोदी सरकार में नोटबंदी के बाद देश एक बार फिर घरेलू गैस के लिये लाइन में खड़ा है। गैस संकट के कारण कई घरों में भोजन का संकट है। लोग कई दिनों तक सिलेण्डर लेकर आते हैं और निराश होकर घर लौट जाते हैं। कहा कि युद्ध के बीच गैस संकट के लिये सीधे तौर पर सरकार की नीति जिम्मेदार है। मांग किया कि गैस संकट को तत्काल दूर कराया जाय।

घरेलू गैस संकट और कालाबाजारी के विरोध में प्रदर्शन और ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से शिमला, आरती, शीला, अनारा, गुड्डी, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष लक्ष्मी यादव, सुभार्जी, सुनीता, मंजू, शकुन्तला, रोशनी, पूजा, कलावती, सरोज, ज्ञानमती, सरिता, सरोज, गायत्री, ममता, अनीता, फूलादेवी, शारदा, सुशीला, साधना, इन्दू, कुशलावती, यशोदा, संगीता, रजली, रंगीला, गीता, प्रीती, विन्दू, हशीमुन्निशा, शबनम, मदीना, शान्ती, रीना, सुनीता, अनीता, कविता, शबीहा, दीप शिखा, हरिओम, लालजी पहलवान, शौकत अली, आशुतोष पाण्डेय, दिलीप श्रीवास्तव, गंगा मिश्रा, विश्वजीत, भूमिधर, हाजी वहाब, सुनील कुमार, हरिओम, अनित भारती, चन्द्रशेखर के साथ ही कांग्रेस के अनेक नेता, कार्यकर्ता शामिल रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 14 अपैल 2026 मंगलवार

सम्पादकीय

विफल वार्ता के खतरे

ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में 21 घंटे तक चली वार्ता विफल हो गई। इसका कारण दोनों पक्षों का अपने रवैये से टस से मस न होना रहा। जहां अमेरिका हर हाल में यह सुनिश्चित करना चाहता था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने का इरादा छोड़े, वहीं ईरान न तो इसके लिए तैयार था और न ही अपनी इस जिद को छोड़ने के लिए कि होर्मुज समुद्री मार्ग पर उसका आधिपत्य रहना चाहिए। साफ है कि वार्ता में ईरान ने भी अड़ियल रवैये का परिचय दिया।

वह परमाणु हथियारों से लैस हो, इसे कोई भी नहीं चाहता–अमेरिका और इजरायल तो कदापि नहीं। इसकी अनदेखी न की जाए कि ईरान इजरायल को दुनिया के मानचित्र से मिटाने की बात करता रहता है और उस पर हमले करने वाले हमास, हिजबुल्ला सरीखे आतंकी संगठनों को हर तरह का सहयोग–समर्थन देता है। ईरान का यह दावा झूठा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम नाभिकीय हथियारों के निर्माण के लिए नहीं है, क्योंकि उसके पास इसका कोई जवाब नहीं कि वह तय सीमा से कहीं अधिक यूरेनियम संवर्धन क्यों कर रहा है?

यदि वह परमाणु हथियारों से लैस हुआ तो पश्चिम एशिया में दादागीरी तो दिखाएगा ही, इजरायल के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा भी बनेगा। विश्व को यह भी स्वीकार नहीं हो सकता कि वह होर्मुज को अपनी निजी जागीर समझे। अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार इस जलमार्ग पर उसका एकाधिकार नहीं। यदि ईरान के लिए यह आवश्यक है कि वह होर्मुज और यूरेनियम संवर्धन पर अपना हठ छोड़े तो अमेरिका को भी वहां सत्ता परिवर्तन कराने के अपने अतिवादी विचार का परित्याग करना होगा।

अमेरिका–ईरान के बीच वार्ता विफल होना पश्चिम एशिया के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए निराशा और चिंता का कारण है। इस वार्ता की विफलता के बाद ट्रंप ने जिस तरह होर्मुज की नाकेबंदी करने और वहां से एक भी जहाज न निकलने देने की धमकी दी, वह तो ऊर्जा संकट को और खतरनाक स्थिति में ले जाने वाली बात है। उनकी यह धमकी भारत के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे कुछ जहाज किसी तरह तेल और गैस लेकर वहां से निकल पा रहे थे।

लगता है ट्रंप चाहते हैं कि होर्मुज को लेकर पूरी दुनिया ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका के साथ खड़ी हो। जो भी हो, अमेरिका–ईरान जिस तरह अपने रवैये पर अडिग हैं, उससे चंद दिनों पहले थमा 40 दिन पुराना युद्ध नए सिरे से शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। यदि युद्ध नए सिरे से छिड़ता है तो अमेरिका ईरान पर कहीं अधिक भीषण हमले करेगा। इसके नतीजे में वह होर्मुज से अपना नियंत्रण खो सकता है। अच्छा होगा कि दोनों पक्ष युद्धविराम पर नए सिरे से कुछ नरम रवैये के साथ पुनः वार्ता की संभावनाएं टटोलें।

संवेदनहीन समय में

मानवीय संवेदनायें लगातार दम तोड़ रही है। गाजियाबाद में एक बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले ने फिर यही साबित किया है कि शासन–तंत्र और पुलिस से लेकर अस्पतालों तक पसरी व्यापक लापरवाही और संवेदनहीनता दरअसल अपराध की गंभीरता को और त्रासद बना देती है। यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि एक मासूम के खिलाफ पहले अपराधी बर्बरता से पेश आता है, फिर दो निजी अस्पतालों को उसके जीने–मरने की परवाह नहीं होती और पुलिस भी घनघोर लापरवाही बरतती है।

यह मामला भी शायद संवेदनहीनता के दुश्चक्र में उलझ कर दम तोड़ देता, लेकिन इसमें न्याय के लिए गुहार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और अदालत ने इस पर सख्त रुख अख्तियार किया। खबरों के मुताबिक, मजदूरी करके गुजारा करने वाले एक व्यक्ति की चार वर्षीय बेटी से पड़ोस के एक युवक ने बलात्कार किया और ईंट से वार कर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। बेटी को खोजने के बाद जब पिता उसे लेकर इलाज के लिए गए, तो दो निजी अस्पतालों ने उपचार करने से मना कर दिया। आखिर में बच्ची को एक सरकारी अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। यानी अपराध की वीभत्सता के बाद जिन अस्पतालों को सबसे पहले बच्ची की जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी, वहां उन्होंने मना कर दिया।

त्रासदी यहीं नहीं रुकी। इसके बाद पोस्टमार्टम रपट में साक्ष्य के बावजूद पुलिस ने प्राथमिकी में बलात्कार की धारा नहीं जोड़ी और न ही पाक्सो अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया। पुलिस ने पीड़ित परिवार का उत्पीड़न किया और कहानियां बनाती रही। अव्वल तो लचर कानून–व्यवस्था की वजह से जघन्य अपराध की घटना होती है। फिर उसके बाद भी पुलिस को जरूरी कार्रवाई करने से कौन रोकता है।

यह बेवजह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार, संबंधित थाना प्रभारी, दोनों निजी अस्पतालों और कार्यकारी मजिस्ट्रेट के प्रति सख्त रुख अख्तियार किया है। अदालत ने यहां तक कहा कि मामले के तथ्य और परिस्थितियों ने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार आए दिन राज्य में अपराध पर पूरी तरह काबू पाने के दावे करती रहती है, लेकिन एक मासूम के खिलाफ हुई बर्बर घटना और उसके बाद पुलिस की संवेदनहीनता क्या दर्शाती है?

युगों तक याद किये जायेंगे बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर

—रितिक कुमार—

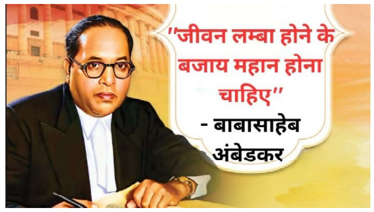

14 अप्रैल 1891 को जन्मे डॉ. बी.आर. अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। डॉ. बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था, दलित अधिकारों, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और मजदूरों के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी।

भारतीय संविधान के जनक डॉ. बी.आर. अंबेडकर आधुनिक भारत में न्याय और समानता के लिए सबसे प्रभावशाली आवाजों में से एक हैं। जातिगत भेदभाव के गहरे दौर में एक गरीब दलित परिवार में जन्मे डॉ. अंबेडकर को बचपन से ही अपमान और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि, दृढ़ संकल्प, शिक्षा और महत्वाकांक्षा के बल पर वे एक प्रख्यात विद्वान, वकील, अर्थशास्त्री और भारतीय संविधान के प्रमुख रचनाकारों में से एक बने। आज यदि दलितों को उनके अधिकार मिल रहे हैं, तो इसका श्रेय मुख्य रूप से डॉ. अंबेडकर को जाता है, क्योंकि उन्होंने समाज की बुराइयों और अछूतों के अमानवीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ी।

डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा महिलाओं, अछूतों और हाशिए पर पड़े समुदायों का उत्थान कर सकती है और उन्हें अन्याय के चंगुल से मुक्त कर सकती है। इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए उन्होंने दलित वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 को 'अस्पृश्यता उन्मूलन' के लिए शामिल किया। डॉ. बी.आर. अंबेडकर एक कुशल आर्थिक नेता भी थे, जिनके शोध और अर्थशास्त्र संबंधी कार्यों का भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना पर सीधा प्रभाव पड़ा। उन्होंने औद्योगीकरण और कृषि सुधारों का भी समर्थन किया और भूमि राष्ट्रीयकरण एवं श्रम अधिकारों की वकालत की। एक समाज सुधारक के रूप में उन्होंने लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों की पुरजोर वकालत की और विवाह, तलाक और संपत्ति संबंधी मामलों में महिलाओं को अधिक अधिकार प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत कानूनों में सुधार किया।

14 अप्रैल 1891 को जन्मे डॉ. बी.आर. अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने जाति व्यवस्था, दलित अधिकारों, महिलाओं पर अत्याचार और मजदूरों के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता भारतीय सेना में कार्यरत थे। स्कूल जाने के बावजूद, उन्हें अछूत होने के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा और शिक्षकों से उन्हें बहुत कम या न के बराबर सहायता मिली। भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभवों ने उन्हें अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए एक सामाजिक क्रांति लाने के लिए प्रेरित किया।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर एक महान भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता बने, जिन्होंने भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता और देश के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्य किया। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर दलितों और हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने अस्पृश्यता और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन चलाए। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष के रूप में, डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने भारत के संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जाति व्यवस्था, महिलाओं पर अत्याचार और मजदूरों के साथ होने वाले अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया।

डॉ. अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जो जाति व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर आती है। दलित या अछूत होने के कारण उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था। भीमराव अंबेडकर को शिक्षकों और विद्यालय से नाममात्र की सहायता मिली और उन्हें कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं थी। जब उन्हें पानी पीना होता था, तो उच्च जाति के किसी व्यक्ति को ऊँचाई से पानी डालना पड़ता था क्योंकि उन्हें न तो पानी को छूने की अनुमति थी और न ही उस बर्तन को जिसमें पानी रखा था। यदि कोई पानी लाने वाला न होता, तो उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता था। व्याख्यान सुनने के लिए उन्हें बोरी पर बैठना पड़ता था, जिसे उन्हें घर वापस ले जाना पड़ता था क्योंकि उच्च जाति के लोग उसे 'गंदा' मानते थे। माता की मृत्यु के बाद, उनका पालन–पोषण उनकी बुआ ने कठिन परिस्थितियों में किया। तमाम मुश्किलों के बावजूद, वे अपनी जाति के पहले दलित बने जिन्होंने महाविद्यालय में दाखिला लिया।

भारत में अस्पृश्यता सामाजिक बहिष्कार और जातिगत भेदभाव की एक गहरी जड़ें जमा चुकी व्यवस्था है , जहाँ दलितों को, जिन्हें अछूत भी कहा जाता है, अपवित्र माना जाता है और उन्हें अलगाव, हिंसा और व्यवस्थित उत्पीड़न का शिकार बनाया जाता है। उन्हें केवल उनकी जन्म पहचान के आधार पर आर्थिक अवसरों और धार्मिक स्थलों में प्रवेश से वंचित रखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति दलित परिवार में जन्म लेता है, तो उसे जीवन भर उत्पीड़न और गरीबी सहनी पड़ती है। डॉ. ब्रह्मदकर ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 को शामिल किया।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारत के संविधान के प्रमुख निर्माता और पहले कानून मंत्री के रूप में कार्य किया। महार दलित परिवार में जन्मे, उन्होंने जातिगत भेदभाव को पार करते हुए एक अग्रणी विद्वान और दूरदर्शी नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। भीमराव अंबेडकर ने अछूतों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की वकालत की। आइए डॉ. बी.आर. अंबेडकर की जीवनी पर एक नजर डालते हैं।

डॉ. अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। भीमराव अंबेडकर दलित परिवार में जन्मे थे और बचपन में उन्हें घोर भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद, उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वे अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया। भीमराव रामजी अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया, जैसे कि 1927 में जल अधिकारों के लिए महाद सत्याग्रह। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने हेतु मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसी पत्रिकाओं की स्थापना की। बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर ने दलितों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन का भी नेतृत्व किया। उनका योगदान युगों तक याद किया जायेगा।

कार्यालय ग्राम पंचायत खम्भा वि.खं. रुधौली, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **खम्भा** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **खम्भा** के निविदा बाक्स में दिनांक 22–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 13–04–2026 से दिनांक 21–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **खम्भा** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **खम्भा** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **खम्भा** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(करीम अली)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**खम्भा**

(अजय कुमार सिंह)
सचिव
ग्राम पंचायत–**खम्भा**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 10.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत अनदेउरा वि.खं. रुधौली, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **अनदेउरा** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **अनदेउरा** के निविदा बाक्स में दिनांक 21–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 13–04–2026 से दिनांक 20–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **अनदेउरा** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **अनदेउरा** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **अनदेउरा** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(महेन्द्र कुमार सिंह)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**अनदेउरा**

(अजय कुमार सिंह)
सचिव
ग्राम पंचायत–**अनदेउरा**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 10.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत मझौवा कला प्रथम वि.खं. रुधौली, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **मझौवा कला प्रथम** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **मझौवा कला प्रथम** के निविदा बाक्स में दिनांक 20–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 14–04–2026 से दिनांक 19–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **मझौवा कला प्रथम** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **मझौवा कला प्रथम** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **मझौवा कला प्रथम** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(वासमती)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**मझौवा कला प्रथम**

(अजय कुमार सिंह)
सचिव
ग्राम पंचायत–**मझौवा कला प्रथम**

कार्यालय ग्राम पंचायत गौरिया वि.खं. बहादुरपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **गौरिया** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **गौरिया** के निविदा बाक्स में दिनांक 14–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 03–04–2026 से दिनांक 13–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **गौरिया** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **गौरिया** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **गौरिया** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(अनिल कुमार)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**गौरिया**

(राघवेन्द्र प्रताप सिंह)
सचिव
ग्राम पंचायत–**गौरिया**

कार्यालय ग्राम पंचायत खलीलपट्टी वि.खं. बहादुरपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **खलीलपट्टी** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **खलीलपट्टी** के निविदा बाक्स में दिनांक 11–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 01:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 03–04–2026 से दिनांक 10–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।

2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3– कार्यालय ग्राम पंचायत **खलीलपट्टी** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।

4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **खलीलपट्टी** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।

5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।

6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।

7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।

8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।

9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।

10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **खलीलपट्टी** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।

11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।

13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।

14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।

15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(सुनीता)	**(राघवेन्द्र प्रताप सिंह)**
प्रधान	सचिव
ग्राम पंचायत–**खलीलपट्टी**	ग्राम पंचायत–**खलीलपट्टी**

कार्यालय ग्राम पंचायत बेनीपुर वि.खं. बहादुरपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **बेनीपुर** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **बेनीपुर** के निविदा बाक्स में दिनांक 12–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 03–04–2026 से दिनांक 11–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।

2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3– कार्यालय ग्राम पंचायत **बेनीपुर** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।

4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **बेनीपुर** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।

5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।

6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।

7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।

8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।

9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।

10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **बेनीपुर** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।

11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।

13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।

14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।

15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(कमलावती देवी)	**(राघवेन्द्र प्रताप सिंह)**
प्रधान	सचिव
ग्राम पंचायत–**बेनीपुर**	ग्राम पंचायत–**बेनीपुर**

कार्यालय ग्राम पंचायत मुस्तफाबाद वि.खं. बहादुरपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **मुस्तफाबाद** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **मुस्तफाबाद** के निविदा बाक्स में दिनांक 13–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 03–04–2026 से दिनांक 10–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।

2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3– कार्यालय ग्राम पंचायत **मुस्तफाबाद** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।

4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **मुस्तफाबाद** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।

5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।

6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।

7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।

8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।

9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।

10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **मुस्तफाबाद** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।

11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।

13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।

14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।

15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(वीरेन्द्र कुमार)	**(राघवेन्द्र प्रताप सिंह)**
प्रधान	सचिव
ग्राम पंचायत–**मुस्तफाबाद**	ग्राम पंचायत–**मुस्तफाबाद**

झगड़ा सुलझाने गए मामा–भांजे पर चाकू से हमला, मामा की मौत, भांजा घायल

संवाददाता–गोंडा। जिले के अलावल देवरिया के बग्गी रोड पर दो अस्पताल कर्मचारियों के बीच हुए झगड़े को शांत कराने पहुंचे एक दुकानदार और उसके भांजे पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, जबकि भांजा घायल अवस्था में एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। प्रभारी निरीक्षक अरविंद यादव ने बताया कि बग्गी रोड स्थित मेड लाइफ अस्पताल एवं ट्रामसेंटर में कार्यरत दो युवकों सत्य प्रकाश शुक्ल निवासी ग्राम रामापुर थाना मोतीगंज और अनूप शुक्ल निवासी इंदइक पुरवा रुद्रगढ़ नौसी थाना ध ाानेपुर के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने अपने–अपने साथियों को मौके पर बुला लिया और मामला गंभीर रूप ले लिया।इस दौरान खाद एवं बीज के दुकानदार आनंद कुमार पांडे अपने भांजे के साथ दोनों पक्षों के बीच बढ़ते विवाद को शांत कराने की नीयत से मौके पर पहुंचे। लेकिन एक पक्ष के उपद्रवी युवकों ने बीच–बचाव करने आए निर्दोष मामा–भांजे पर ही चाकू से हमला बोल दिया। इस अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा–तफरी मच गई।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम

संवाददाता–अयोध्या। भारतीय जनता पार्टी ने सिविल लाइंस स्थित सर्किट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें प्रबुद्ध वर्ग की महिलाओं ने नारी शक्ति वंदन अधि ानियम पर अपने विचार रखे। महिला महाविद्यालय गोसाईगंज की प्राचार्या डॉ. अंजू पाण्डेय ने कहा कि संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण सुनिश्चित करने वाला यह संवैधानिक संशोधन देश की लोकतांत्रिक यात्रा में मील का पत्थर है। उन्होंने प्रध ाानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के लिए चल रही योजनाओं उज्ज्वला, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत का उल्लेख करते हुए कहा कि इनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कानून महिलाओं को भागीदार से निर्णयकर्ता बनाएगा।

अदालती नोटिस

प्रारूप 7

(देखे नियम–11 (1)

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा–12 (1) के अधीन हाजिर होने के लिए सूचना

अदालत–श्रीमान जे0एम0/ एफ0 टी0 सी0 (सी0ए0डब्लू0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती

घरेलू हिंसा परिवाद वाद सं0 209/2025

थाना–पुरानी बस्ती

जिला–बस्ती

हिना फातिमा आदि

बनाम

मो0 शादान खान आदि

1– मो0 शादान खान उम्र करीब 32 साल मो0 खलील खान 2– मो0 खलील खान उम्र करीब 65 साल पुत्र स्व0 3. गुल फिरोज आयु लगभग 62 साल पत्नी मो0 खलील खान 4. मो0 शोएब खान आयु लगभग 40 साल पुत्र मो0 खलील खान निवासीगण ऋषिटोला शहर फैजाबाद थाना कोतवाली नगर जिला अयोध्या 5. शोएबा खानम उम्र करबी 48 साल पुत्री मो0 खलील पत्नी ओवेश खान निवासी चिर्रा मोहम्मदपुर थाना रौनाही जनपद अयोध्या 6. शीरीन खानम पुत्री मो0 खलील खान पत्नी सरफराज खान निवासी हसनू कटरा थाना कैंट जिला–अयोध्या

तारीख पेशी 15–04–2026

याची ने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा– 12 के अधीन आवेदन फाइल किया है/किये है। आपको यह कारण बताने के लिए कि क्यों न आवेदक द्वारा मांगे गये (अनुतोषो) को आपके विरूद्ध प्रदान कर दिया जाय व्यक्तिगत रूप से या सम्यक रूप से प्राधिकृत काउन्सेल के मार्पत तारीख 15 मास 04 सन् 2026 को बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में इस न्यायालय के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया जाता है। इसमे असफल होने पर न्यायालय एक पक्षीय कार्यवाही करेगा। मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के अधीन तारीख को दी गयी।

द0 हाकिम

कार्यालय ग्राम पंचायत बेईली वि.खं. बहादुरपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **बेईली** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **बेईली** के निविदा बाक्स में दिनांक 11–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 03–04–2026 से दिनांक 10–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।

2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3– कार्यालय ग्राम पंचायत **बेईली** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।

4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **बेईली** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।

5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।

6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।

7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।

8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।

9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।

10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **बेईली** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।

11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।

13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।

14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।

15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(शेर मोहम्मद)	**(राघवेन्द्र प्रताप सिंह)**
प्रधान	सचिव
ग्राम पंचायत–**बेईली**	ग्राम पंचायत–**बेईली**

कार्यालय ग्राम पंचायत डारीडीहा वि.खं. बहादुरपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **डारीडीहा** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **डारीडीहा** के निविदा बाक्स में दिनांक 12–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 03–04–2026 से दिनांक 11–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।

2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3– कार्यालय ग्राम पंचायत **डारीडीहा** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।

4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **डारीडीहा** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।

5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।

6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।

7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।

8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।

9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।

10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **डारीडीहा** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।

11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।

13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।

14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।

15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(सुनील चौधरी)	**(राघवेन्द्र प्रताप सिंह)**
प्रधान	सचिव
ग्राम पंचायत–डारीडीहा	ग्राम पंचायत–डारीडीहा

कार्यालय ग्राम पंचायत कम्हरिया वि.खं. बहादुरपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **कम्हरिया** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **कम्हरिया** के निविदा बाक्स में दिनांक 13–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 01:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 03–04–2026 से दिनांक 11–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।

2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3– कार्यालय ग्राम पंचायत **कम्हरिया** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।

4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **कम्हरिया** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।

5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।

6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।

7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।

8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।

9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।

10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **कम्हरिया** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।

11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।

13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।

14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।

15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(तबस्सुम निशा)	**(राघवेन्द्र प्रताप सिंह)**
प्रधान	सचिव
ग्राम पंचायत–**कम्हरिया**	ग्राम पंचायत–**कम्हरिया**

कार्यालय ग्राम पंचायत सरैया खुर्द वि.खं. बहादुरपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **सरैया खुर्द** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **सरैया खुर्द** के निविदा बाक्स में दिनांक 14–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 01:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 03–04–2026 से दिनांक 13–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।

2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

3– कार्यालय ग्राम पंचायत **सरैया खुर्द** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।

4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **सरैया खुर्द** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।

5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।

6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।

7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।

8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।

9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।

10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **सरैया खुर्द** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।

11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।

13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।

14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।

15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(साकरून)	**(राघवेन्द्र प्रताप सिंह)**
प्रधान	सचिव
ग्राम पंचायत–**सरैया खुर्द**	ग्राम पंचायत–**सरैया खुर्द**

कार्यालय ग्राम पंचायत सुमही वि.खं. गौर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **सुमही** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **सुमही** के निविदा बाक्स में दिनांक 15–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 14–04–2026 से दिनांक 15–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **सुमही** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **सुमही** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **सुमही** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(तारा देवी)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**सुमही**

(सूरज पाण्डेय)
सचिव
ग्राम पंचायत–**सुमही**

कार्यालय ग्राम पंचायत धन्सा वि.खं. रूधौली, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **धन्सा** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **धन्सा** के निविदा बाक्स में दिनांक 01–05–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 14–04–2026 से दिनांक 30–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **धन्सा** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **धन्सा** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **धन्सा** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(शशिकला)
प्रधान
ग्राम पंचायत–**धन्सा**

(स्नेहा श्रीवास्तव)
सचिव
ग्राम पंचायत–**धन्सा**

ग्राम पंचायत पटियापार विकास खण्ड खुनियांव, जनपद–सिद्धार्थनगर

अल्पकालीन निविदा सूचना

ग्राम पंचायत **पटियापार** द्वारा जी राम जी / राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना / विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) / 15वां / 16वां वित्त /केन्द्रीय वित्त / पंचम राज्य वित्त आयोग /उत्सव भवन / स्वच्छ भारत मिशन/एम.एल. एल. डब्ल्यू. एम. / सांसद / विधायक एम. एल. सी. निधि के अन्तर्गत वर्ष 2026–2027 में स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु (प्रथम श्रेणी ईंट, सीमेंट, ईंट की गिट्टी, पत्थर की गिट्टी, सरिया, पेंट, साइनबोर्ड, ह्यूम पाइप, स्ट्रीट लाइट, सफाई सामग्री, बेला, सादा बालू, मोरंग बालू, कूड़ादान, प्लास्टिक बैंक, ई–रिक्शा साइकिल, ई–रिक्शा मरम्मत, स्वच्छता किट, इन्सिनरेटर आदि एवं अन्य प्रकार की निर्माण में प्रयुक्त सामग्री आदि) की आवश्यकता है। इस निमित्त निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 26–04–2026 को समय 12:00 बजे तक अपनी निविदा फार्म मूल्य रू100.00 के स्टाम्प पेपर तथा वांछित प्रपत्र बंद लिफाफे में कार्यालय/स्थान ग्राम पंचायत **पटियापार** निविदा बॉक्स में डालेंगे। निविदा उसी दिन 03:00 बजे निविदाताओं के समक्ष खोली जाएगी। शर्तें एवं नियमावलीः 1. अधिकृत फर्म/अधिकृत डीलर का जी. एस.टी. रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा 03 वर्ष का आयकर क्लियरेंस संलग्न करना अनिवार्य है। 2. जी. एस. टी. तथा कार्टेज चार्ज जोड़कर ही दरें प्रस्तुत की जाएं। 3. आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति पर 2.28 प्रतिशत आयकर/टीडीएस देना होगा। 4. प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होंगी। भुगतान पी.डब्ल्यू.डी. के समयानुसार तय दर पर ही किया जाएगा। 5. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, टीए, अवर अभियंता के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जाएगी 16. धरोहर की धनराशि रू 5000.00 (पांच हजार) होगी। 7. धरोहर की राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफडीआर/एनएससी एवं डाकघर के बचत पत्र के रूप में सचिव ग्राम पंचायत के नाम बंधक होगी। मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। 8. निविदा स्वीकृत होने के उपरांत ग्राम प्रधान सचिव ग्राम पंचायत द्वारा आदेश देने पर ही सामग्री की आपूर्ति की जाएगी। 9. आदेश देने के सात दिनों के अंदर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर की धनराशि जब्त कर ली जाएगी। 10. सामग्री की आपूर्ति स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। 11. सामग्री की मात्रा कार्य के अनुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है। 12. आपूर्ति कर्ता को भुगतान का इंजीनियर/अवर अभियंता (या अभियंता) /तकनीकी सहायक द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा माप के उपरांत किया जाएगा। गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर भुगतान नहीं किया जाएगा। 13. निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र रू 100.00 में ही स्वीकार किया जाएगा। 14. निविदा फार्म किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय से निर्धारित मूल्य देकर प्राप्त किया जा सकता है। 15. निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित रहेगा। 16. निविदा के सम्बन्ध में अन्य जानकारी सचिव ग्राम पंचायत **पटियापार** से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। 17. जिस कार्य की निविदा पृथक से निकाली जाएगी उस कार्य पर इस निविदा की शर्तें लागू नहीं होंगी।

ग्राम प्रधान
महेन्द्र यादव
ग्राम पंचायत–पटियापार
विकास खण्ड–खुनियांव,
सिद्धार्थनगर

सचिव
सर्वजीत यादव
ग्राम पंचायत–पटियापार
विकास खण्ड–खुनियांव,
सिद्धार्थनगर

ग्राम पंचायत शिवपति नगर विकास खण्ड नौगढ़, जनपद–सिद्धार्थनगर

अल्पकालीन निविदा सूचना

ग्राम पंचायत **शिवपति नगर** द्वारा मनरेगा/बीवीजी/रामजी / राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना / विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) / 15वां / 16वां वित्त /केन्द्रीय वित्त / पंचम राज्य वित्त आयोग /ओएसआर वित्त/उत्सव भवन / स्वच्छ भारत मिशन/एस.एल. डब्ल्यू. एम. / सांसद / विधायक एम. एल. सी. निधि के अन्तर्गत वर्ष 2026–2027 में स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु (प्रथम श्रेणी ईंट, सीमेंट, ईंट की गिट्टी, पत्थर की गिट्टी, सरिया, पेंट, साइनबोर्ड, ह्यूम पाइप, स्ट्रीट लाइट, सफाई सामग्री, बेला, सादा बालू, मोरंग बालू, कूड़ादान, प्लास्टिक बैंक, ई–रिक्शा साइकिल, ई–रिक्शा मरम्मत, स्वच्छता किट, इन्सिनरेटर आदि एवं अन्य प्रकार की निर्माण में प्रयुक्त सामग्री आदि) की आवश्यकता है। इस निमित्त निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 21–04–2026 को समय 09:00 बजे तक अपनी निविदा फार्म मूल्य रू100.00 के स्टाम्प पेपर तथा वांछित प्रपत्र बंद लिफाफे में कार्यालय/स्थान ग्राम पंचायत **शिवपति नगर** निविदा बॉक्स में डालेंगे। निविदा उसी दिन 10:00 बजे निविदाताओं के समक्ष खोली जाएगी। शर्तें एवं नियमावलीः 1. अधिकृत फर्म/अधिकृत डीलर का जी. एस.टी. रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा 03 वर्ष का आयकर क्लियरेंस संलग्न करना अनिवार्य है। 2. जी. एस. टी. तथा कार्टेज चार्ज जोड़कर ही दरें प्रस्तुत की जाएं। 3. आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति पर 2.28 प्रतिशत आयकर/टीडीएस देना होगा। 4. प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होंगी। भुगतान पी.डब्ल्यू.डी. के समयानुसार तय दर पर ही किया जाएगा। 5. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, टीए, अवर अभियंता के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जाएगी 16. धरोहर की धनराशि रू 5000.00 (पांच हजार) होगी। 7. धरोहर की राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफडीआर/एनएससी एवं डाकघर के बचत पत्र के रूप में सचिव ग्राम पंचायत के नाम बंधक होगी। मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। 8. निविदा स्वीकृत होने के उपरांत ग्राम प्रधान सचिव ग्राम पंचायत द्वारा आदेश देने पर ही सामग्री की आपूर्ति की जाएगी। 9. आदेश देने के सात दिनों के अंदर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर की धनराशि जब्त कर ली जाएगी। 10. सामग्री की आपूर्ति स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। 11. सामग्री की मात्रा कार्य के अनुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है। 12. आपूर्ति कर्ता को भुगतान का इंजीनियर/अवर अभियंता (या अभियंता) /तकनीकी सहायक द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा माप के उपरांत किया जाएगा। गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर भुगतान नहीं किया जाएगा। 13. निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र रू 100.00 में ही स्वीकार किया जाएगा। 14. निविदा फार्म किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय से निर्धारित मूल्य देकर प्राप्त किया जा सकता है। 15. निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित रहेगा। 16. निविदा के सम्बन्ध में अन्य जानकारी सचिव ग्राम पंचायत **शिवपति नगर** से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। 17. जिस कार्य की निविदा पृथक से निकाली जाएगी उस कार्य पर इस निविदा की शर्तें लागू नहीं होंगी।

ग्राम प्रधान
श्रीमती अनारकली
ग्राम पंचायत–शिवपति नगर
विकास खण्ड–नौगढ़,
सिद्धार्थनगर

सचिव
महेश्वर पाण्डेय
ग्राम पंचायत–शिवपति नगर
विकास खण्ड–नौगढ़,
सिद्धार्थनगर

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0–
धारा कायमी सी0एच0 48 एक्ट
अदालत– श्रीमान उप संचालक चबन्दी सिद्धार्थनगर

मातिवर
बनाम
वासमती आदि

1. शिवपूजन पुत्र रामपियारे 2. शिव कुमार पुत्र रामपियारे साकिन दूबरीपुर तप्पा घोष परगना व तहसील नौगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर 3. संवारी पुत्री बाबूराम साकिन साधूनगर तप्पा बंजरहा परगना व तहसील नौगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर 4. बरखू 5. सरखू 6. मनखू पुत्रगण महादेव साकिन कीड़राग्रांट तप्पा थरौली परगना व तहसील नौगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

तारीख पेशी 15–04–2026

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 15 माह 04 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 18 माह 03 सन 2026 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–753/2025

सीताराम
बनाम
रामशंकर आदि

1. रामशंकर उम्र लगभग 59 वर्ष पुत्र राजाराम निवासी ग्राम कटरा वार्ड नं0–17 (पुराना डाकखाना) तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला बस्ती

–प्रतिवादी प्रथम वर्ग

2. पवन कुमार उम्र लगभग 30 वर्ष 3. वीरेन्द्र कुमार उम्र लगभग 28 वर्ष पुत्रगण काशी 4. स्मिता उम्र लगभग 25 वर्ष पुत्री काशी 5. श्रीमती चानी देवी उम्र लगभग 72 वर्ष पत्नी स्व0 काशी 6. दिनेश उम्र लगभग 32 वर्ष 7. अवधेश उम्र लगभग 29 वर्ष पुत्रगण बनारसी 8. श्रीमती सोना देवी उम्र लगभग 73 वर्ष पत्नी बनारसी निवासीगण ग्राम कटरा वार्ड नं0–17 (पुराना डाकखाना) तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला बस्ती

–प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग

तारीख पेशी 11–05–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 11 माह 05 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

बाबा साहब ने दलितों के अधिकार के लिए जीवन भर संघर्ष किया

संवाददाता–गोरखपुर। भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी के कैंप कार्यालय, बेतियाहाता में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर विचार गोष्ठी आयोजित हुई। गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अनिल सोनकर ने कहा कि बाबा साहब आंबेडकर ने अपना संपूर्ण जीवन दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों तथा सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर दिया। सोनकर ने कहा कि आज के समय में उनके पदचिह्नों पर चलकर समतामूलक समाज के निर्माण की दिशा में कार्य करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। संगोष्ठी में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व कोऑर्डिनेटर महेंद्र मोहन 'गुड्डू' तिवारी ने कहा कि बाबा साहब समतामूलक समाज के प्रबल पक्षधर थे और उन्होंने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर न्याय की लड़ाई लड़ी। इस दौरान ध्रुव चंद गुप्ता, महेंद्र नाथ मिश्रा, राजेंद्र यादव, चंदन कुमार, अभिजीत पाठक, बिंदेश्वरी प्रसाद, सीपी राय, गणेश प्रसाद मिश्रा, राम आशीष निषाद, सोनू पासवान, दिनेश श्रीवास्तव, रामकुमार निषाद, रीता सोनकर, स्नेहलता, रिंकू देवी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0–913
कं0 वाद सं0 T2017171453012470
धारा 34 उ0प्र0रा0सं0–2006
अदालत– श्रीमान नायब तहसीदार सदर तहसील हरैया जिला बस्ती

पारसनाथ
बनाम
कृष्णनाथ

1. पारसनाथ पुत्र श्रीनेवास साकिन रमवापुर तप्पा दुबौलिया परगना अमोढ़ा तहसील हरैया जिला बस्ती

तारीख पेशी 05–05–2026

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 05 माह 05 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 09 माह 04 सन 2026 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0– T202517140404386 /T202517140401870
धारा 116 उ0प्र0रा0सं0–2006
अदालत– श्रीमान उप जिलाधिकारी रूधौली जिला –बस्ती

एजाज अहमद आदि
बनाम
इजहार अली आदि
साकिन हसनी

तारीख पेशी 15–04–2026

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 15 माह 04 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 08 माह 04 सन 2026 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0–275/2020
अदालत– श्रीमान उप जिलाधिकारी (न्यायिक) महोदय सिद्धार्थनगर

समुनरा
बनाम
कन्हई आदि

1.कन्हई पुत्र बहादुर 2. किशन 3. लालजी पुत्रगण स्व0 समुझ 4. चालीसा पत्नी स्व0 समुझा 5. शिव सागर पुत्र स्व0 गनेश 6. पप्पू पुत्र स्व0 गनेश 7. आकाश पुत्र स्व0 गनेश 8. अजय पुत्र स्व0 गनेश 9. श्रीमती केवल पत्नी स्व0 गनेश साकिन सजनी तप्पा थरौली परगना व तहसील नौगढ़ जिला सिद्धार्थनगर

तारीख पेशी 17–04–2026

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 17 माह 04 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 07 माह 04 सन 2026 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुदाअलेह मुतवफ्फा
(आर्डर 22, कायदा 4)
न्यायालय–श्रीमान प्रथम अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
मूलवाद सं0–920/1990

अम्बिका
बनाम
अगरदी आदि

1/1/1 बुद्धू गौड़ उम्र लगभग 38 वर्ष 1/1/2 रोहित गौड़ उम्र लगभग 25 वर्ष 1/1/3 सोनू गौड़ उम्र लगभग 23 वर्ष पुत्रगण स्व0 हरिश्चन्द्र 1/2 गिरजा उम्र लगभग 50 वर्ष 1/3 झिनकू उम्र लगभग 45 वर्ष 1/4 वृजभान उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्रगण स्व0 अगरदी 1/5 काजल उम्र लगभग 82 वर्ष पत्नी स्व0 अगरदी 1/6 कौशल्या उम्र लगभग 38 वर्ष पत्नी स्व0 गणेश 1/7 करिश्मा उम्र लगभग 17 वर्ष 1/8 पलक उम्र लगभग 15 वर्ष 1/9 रिवा उम्र लगभग 13 वर्ष 1/10 मनीश उम्र लगभग 5 वर्ष नावालिगान पुत्र/पुत्रीगण गणेश ववलायत कौशल्या देवी माता खुद साकिनान मौजा बेलहर तप्पा बेलहर परगना बांसी पूरव जिला संतकबीरनगर

तारीख पेशी 20–04–2026

हरगाह मुद्दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्दाअलेह बनाये जांय। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 20 माह 04 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश
(आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
प्रकीर्णवाद सं0– 380/2023

सुभाष चौधरी
बनाम
रामविलास चौधरी आदि

3. रामनेवास चौधरी 4. वासदेव चौधरी पुत्रगण स्व0 रामकेशरी चौधरी साकिन मरवटिया तप्पा कड़र परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 16–05–2026

हरगाह मुद्दई मजकुरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।

लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 16 माह 05 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुर्दा की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।

मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

(हेतु सन्दर्शित करने की सूचना साधारण प्रारूप)
(आर्डर 5 कायदा 3)
न्यायालय–श्रीमान उप जिलाधिकारी बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0 7058
कं0 वाद सं0–202017180307098
धारा 116 उ0प्र0रा0सं0–2006

जोखूराम आदि
बनाम
सुषमा सिंह आदि

1. सुषमा सिंह पुत्री रघुवंशमणि सिंह साकिन रोहसी बुजुर्ग पोस्ट रानीपुर तहसील गौरीगंज जिला–अमेठी हाल मुकाम भूअर तप्पा दुबखरा परगना नगर पूरव तहसील व जिला बस्ती 2. श्रीमती सुभावती देवी पत्नी रंगीलाल साकिन पिकौरा शिवगुलाम तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला बस्ती 3. रामसुरेश पुत्र परमेश्वर साकिन भूअर तप्पा दुबखरा परगना नगर पूरव तहसील व जिला बस्ती 4. ग्राम पंचायत सराय द्वारा जरिये ग्राम प्रधान साकिन सराय तप्पा दुबखरा परगना नगर पूरव तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 22–04–2026

चूंकि उपरीनामांकित ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि अतएवं आपको एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप इसे आदेश के खिलाफ हेतु सन्दर्भित करने के लिये 2026 के माह 04 के 22 दिवस को 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या सम्पर्क रूपेण अनुर्दिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो और ऐसा न करने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज सन 20 के माह के दिवस को निकाली गयी।

द0 हाकिम

दैनिक भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय–
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय–
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल **bhartiyabasti@gmail.com**
dainikbhartiyabasti@gmail.com